(4)

मध्य प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय-भोपाल

:: आ दे श ::

भोपाल, दिनांक 16.7.1999

क्रमांक एफ 16-86/98/55/चिशि/2:: राज्य शासन हैहय क्षत्रिय एज्युकेशन सोसायटी, भोपाल को भोपाल में नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय में बी. एच. एम. एस. स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनापत्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि संस्था केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के निरीक्षण उपरांत उनकी अनुमति मिलने के पश्चात् ही संबंधित विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही महाविद्यालय प्रारंभ करेगी।

2/- संस्था में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद व्दारा आवंटित सीट्स के अनुसार राज्य सरकार व्दारा कौंसिलिंग के माध्यम से छात्रों को बी. एच. एम. एस. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जायेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी. एस. पीटर) 16.7.99
अवर सचिव
म0 प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ0 क्रमांक एफ 16-86/98/55/चिशि/2, भोपाल, दिनांक 16.7.1999
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. सचिव, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान भवन 61-65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया विपरीत डी-ब्लाक जनकपुरी, नई दिल्ली-58
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल ।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा (अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से संबंधित शाखा, भोपाल ।

निरंतर—2